अपील सूचना अधिकार संख्या 135/2020 (GCMS 2020/00230) (पोस्टल ऑर्डर न. 48एफ/311420) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2020 से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपया शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना प्रार्थी से दिलवाने और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2020 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही है :

1. लोकसभा चुनाव ने बीएलओ द्वारा वितरित किये गये संकल्प पत्रों को एकत्रित करने हेतु जो नियम निर्वाचन विभाग द्वारा बनाये गये है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
2. संकल्प एकत्रित करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों व मतदाताओं को एकत्रित ... दिवस की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
3. संकल्प पत्र वितरित किये जाने व एकत्रित किये ... समय वीडियोग्राफी इस कार्य की, की जाती है, इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. जिस अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में संकल्प पत्र वितरित व एकत्रित किये जाते है उस बाबत नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

5.बीएलओ द्वारा जिस स्कूल या निर्वाचन स्थल से संकल्प पत्र एकत्रित किये जाते है उस स्कूल का समय, स्थान की पूर्ववर्ती खुलने की सूचना व स्टाफ के मौजूद होन की सूचना देने सम्बन्धीी कॉपी के बारे में किस के द्वारा की जाती है, उसकी सूचना।

6. जिस समय से जिस समय तक संकल्प पत्र एकत्रित किये जाते है इस सम्बन्ध में विभागीय/निर्वाचन सम्बन्धी नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति। संकल्प पत्र की प्रमाणित प्रति।

7. एकत्रित संकल्प पत्रों को बीएलओ द्वारा जिस अधिकारी को सौंपा जाता है इस सम्बन्ध में नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

8. एक बीएलओ को संकल्प पत्र दिये जाने की संख्या की सूचना व नियम की प्रति।

9. लगभग 1250 संकल्प पत्रों को एकत्रित करने में लगने वाले समय की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

10. एकत्रित [illegible] को सुपर्दगी से पूर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्त[illegible]र संकल्प एकत्रित होते है, इस बाबत नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(61)(RTI)निर्वा/2020/2931 दिनांक 04.11.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आवेदक श्री राधेश्याम गोयल, 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर को उनके आवेदन दिनांक 07.08.2020 आईपीओ संख्या 48 एफ–311420 के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(61)(RTI)निर्वा/2020/1946 दिनांक 18.08.2020 द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 10 के संबंध में रजिस्टर्ड डाक द्वारा यह अवगत करवा दिया गया था कि "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 10 से संबंधित सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2020 अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
>
> उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी का आरटीआई प्रार्थना इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(61)(RTI)निर्वा/2020/1946 दिनांक 18.08.2020 अस्वीकार कर निस्तारित किया गया, जिसकी चित्रप्रति संलग्न है। [illegible] प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार प्रत्युत्तर भिजवाया जा चुका है। अतः श्रीमान्जी से अनुरोध है कि अपील संख्या 135/2020 खारिज फरमाई जावे।
>
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> उप जिला निर्वाचन अधिकारी
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है **और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण मांगना या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टि से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested